(270)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 09 / डी–186   दिनांकः–2-3-09

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 51 वी बैठक दिनांकः 27.2.09 को पूर्वान्ह 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमशं पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय	
1.		51:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 50वी बैठक दिनांकः 18.2.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 50वी बैठक दिनांकः 18.2.09 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। गत बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णयों की अनुपालना नहीं किये जाने की स्थिति पर अप्रसन्नता प्रकट की गयी एवं भविष्य में बैठक दिनांक से एक सप्ताह के भीतर पालना रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए। यह भी निर्देश दिये गये कि जब तक निर्णयों की पूर्ण पालना नहीं हो जाती तब तक प्रकरण लम्बित निर्णयों की सूची में दिखाये जाते रहेगें।	
2.	5	51:2	ज्योतिबा फुले कॉलेज मार्ग, स्वेज फार्म पर 1275.00 वर्गमीटर भूमि पुलिस चौकी हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर–दक्षिण, जयपुर को भूमि आवंटन के संबंध में	प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 6बी की 1500 वर्गमीटर भूमि में से 750 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।	
3.	11	51:3	रोहिणी नगर–द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी–1174 से बी–1178 एवं बी–1023 से बी–1024, के मौके पर जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटन के संबंध में	समिति की 50वीं बैठक दिनांक 18.02.09 में योजनाओं में भूखण्ड विनिमय हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार उपायुक्त जोन–11 ने समिति को अवगत कराया कि भूखण्ड संख्या बी–1174 से बी–1178 के विनिमय हेतु उसी ब्लॉक में समान चौडाई की सड़क पर भूखण्ड संख्या बी–1161, बी–1165, बी–1180, बी–1182, बी–1216 उपलब्ध है। इसी प्रकार भूखण्ड संख्या	

meeting proceeding 02-03-09

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

271

				बी–1023 से 1024 के विनिमय हेतु इसी ब्लॉक में भूखण्ड संख्या बी–1069 व बी–1082 उपलब्ध है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन–11 सम्बन्धित आवंटियों को बुलाकर उपरोक्त वर्णित भूखण्डों में से लॉटरी निकाल कर विनिमय में भूखण्ड आवंटित करने की कार्यवाही सुनिश्चत करें। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि जिन भूखण्डों का विनिमय किया गया है उन भूखण्डों पर क्या योजना बनायी जा सकती है ? इस सम्बन्ध में योजना शाखा को लिखा जावें ताकि भूखण्डों पर योजना सृजित कर प्रस्तुत कर सकें।	
4.	7	51:4	सेंट थॉमस आर्थोडोक्स सिरियन चर्च सोसायटी को ग्राम गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 57 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से आवंटित 4002.55 वर्गगज भूमि के पास स्थित अतिरिक्त भूमि 998.66 वर्गगज का आवंटन करने के संबंध में	उपायुक्त जोन–7 ने समिति को यह अवगत कराया कि सेंट थॉमस आर्थोडोक्स सिरियन चर्च सोसायटी को पूर्व में सैक्टर–2 में आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महात्मा गांधी नगर में दिनांक 30.03.2001 को आरक्षित दर की आधी दर पर 2194.67 वर्गगज भूमि का आवंटन किया जाकर साईट प्लान जारी किया गया। इसी प्रकार सामुदायिक केन्द्र के लिये 832.24 वर्गगज आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर दर निर्धारण हेतु विचाराधीन है। सोसायटीं द्वारा प्राइमरी स्कूल संचालन हेतु भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन किये जाने पर समिति के निर्णयानुसार ग्राम गिरधारीपुरा के खसरा नं. 57 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा में से 4002.55 वर्गगज भूमि का आवंटन पत्र दिनांक 11. 03.08 को जारी किया गया। यह आवंटन राज्य सरकार के आदेशानुसार आवासीय आरक्षित दर की आधी दर पर किया गया। अब सोसायटी प्राइमरी स्कूल के स्थान पर सीनियर सैकण्ड्री स्कूल के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता लेना चाहती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बद्धता सम्बन्धी उप नियमों के	

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
...धिकरण, जयपुर

272

				बिन्दु संख्या 3 बी के अनुसार ऐसे शहर जिनकी आबादी 25 लाख से उपर है, में कम से कम 1 एकड भूमि होना आवश्यक है ।सोसायटी द्वारा 998.66 वर्गगज भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया है जो पूर्व में आवंटित भूमि 4002.55 वर्गगज के लगती हुई है को मिलाकर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बद्धता मापदण्डों की पूर्ति हो जाती है। राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3 (55) नविवि / 3 /2002 जयपुर दिनांक 14.02.05 के बिन्दु संख्या 6 में यह प्रावधान है कि जिस संस्था को भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है उसको पूर्व में उसी शहर में भूमि आवंटन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार परिपत्र के बिन्दु संख्या 16 में भी यह प्रावधान है कि किसी भी संस्था के लिये आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिये अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की जाएगी और यदि उसे अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाती है तो उस पर कोई छूट देय नहीं होगी। उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संस्था को चाही गयी भूमि आरक्षित दर पर आवंटित करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	
अतिरिक्त एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-					
5.	2	51:4(1)	राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि0 के 33 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन खासा कोठी जयपुर को स्थानान्तरित करने बाबत।	उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (एस.आई) की अध्यक्षता में गठित समिति में निर्णय लिया गया है तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम के 33 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन को अन्यत्र स्थानान्तरित करना यातायात के सुगम संचालन हेतु आवश्यक है। खसरा नं. 9 व 26 जहां 33 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन को स्थानान्तरित किया जाना है वह प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि नहीं होकर राज्य सरकार के	

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				स्वामित्व की है । अतः यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पर 33 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन स्थानान्तरित करने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।	
6.	2	51:4(2)	फतेहसिंह की धर्मशाला योजना रेलवे स्टेशन के पास, स्थित में राजकीय प्राथमिक स्कूल को उक्त क्षेत्र में अन्य भवन शोपिंग कॉम्पलेक्स हॉल एन–13, 14 कॉर्नर उपलब्ध कराने बाबत।	उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (एस.आई) की अध्यक्षता में गठित समिति में निर्णय लिया गया है। प्रस्तावानुसार स्कूल भवन के लिए प्राधिकरण के शॉपिग सेन्टर के हाल संख्या एन–13 व एन–14 को स्कूल संचालित करने हेतु देने का निर्णय लिया गया । पुराने भवन को तोड कर परिसर एवं सडक को विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग को उपरोक्तानुसार सूचित किया जावे।	
7.	12	51:4(3)	श्री बागडा ब्राहम्ण समाज संगठन समिति, जयपुर (राज) को एल.पी.सी. की 49वीं बैठक में आवंटित भूमि 4000वर्गगज के स्थान पर 4000वर्गमीटर संशोधन किये जाने बाबत।	बागडा ब्राहम्ण समाज संगठन समिति द्वारा महिला एवं तकनीकी शिक्षा, वृद्ध जन एवं जनोपयोगी कार्यो हेतु ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 1770 व 1771 में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर समिति की 48वीं बैठक दिनांक 22.08.08 में विचार विमर्श कर 4000 वर्ग मीटर भूमि उक्त संस्था को आवंटन हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। समिति की 49वीं बैठक के ऐजण्डा बिन्दु संख्या 49:4 (16) में उक्त संस्था को 4000 वर्गगज भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि संस्था द्वारा अपने प्रस्ताव में 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन किया गया था एवं समिति की 48वी बैठक दिनांक 22.08.08 में 4000 वर्गमीटर भूमि संस्था को आवंटित करने हेतु आरक्षित की गयी। अतः प्रस्तावानुसार एल.पी.सी. की 49वीं बैठक में आवंटित भूमि 4000 वर्गगज के स्थान पर 4000 वर्गमीटर भूमि संशोधित की जाती है।	

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

274

8.	9	51:4(4)	श्री अतुल पण्डित को भूखण्ड संख्या बी–440 रामनगरिया विस्तार के बदले में भूखण्ड संख्या बी–109 रामनगरिया विस्तार का आवंटन बाबत्।	गत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उपायुक्त जोन–9 मौके का निरीक्षण कर भूखण्ड विनिमय हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें। उपायुक्त जोन–9 ने समिति को अवगत करया कि भूखण्ड संख्या बी–440 शमशान की बाउण्ड्री के अन्दर स्थित न होकर उससे लगता हुआ है व भूखण्ड व शमशान के मध्य योजना में सडक दर्शायी हुई है। भूखण्ड शमशान में नहीं होने के कारण भूखण्ड विनिमय करने का प्रकरण नहीं बनना पाया गया। विनिमय में अन्य कोई भूखण्ड नहीं देने का निर्णय लिया गया।	

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई ।

2/3/09
सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
2- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
3- जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6- जिला कलक्टर, जयपुर
7- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
8- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
9- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
10- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
11- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
12- निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
13- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
14- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15- उपायुक्त जो

2.	श्रीमती कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री पी.के पाण्डे, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य